PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Wed, 24 May 2017, Page 13
Width: 25.23 cms, Height: 29.51 cms, a3, Ref: 33.2017-05-24.98

कर की दर कम होने से स्मार्टफोन,डीटीएच के दाम भी घटेंगे

दवा, मनोरंजन, मकान बनाना सस्ता होगा

नई दिल्ली | हि.टी.

'एक राष्ट्र एक कर' की परिकल्पना पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने पर दवा, केबल टीवी, डीटीएच, मनोरंजन, स्मार्टफोन, सर्जिकल उपकरण और सीमेंट का भाव घटेगा। 1 जुलाई से लागू होन वाले जीएसटी में इनपर कर की दरें वर्तमान से कम हैं।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी के तहत मनोरंजन, डीटीएच सेवाओं पर कर घट जाएगा क्योंकि इन पर राज्यों द्वारा लगाया मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने केबल टीवी और डीटीएच पर 18 फीसदी कर तय किया है। फिलहाल इन पर राज्यों में 15 फीसदी सेवा कर के ऊपर 10 से 30 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाया जाता है।

छोटे व्यापारी को लीगल सेवा पर जीएसटी नहीं

नए जीएसटी के दायरे में वकील की वे सेवाएं नहीं आएंगी जो 20 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले बिजनेस या व्यक्ति को दी गई हैं। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों सेवाएं शामिल नहीं हैं। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए जो 20 लाख रुपये के टर्नओवर से कम के किसी व्यक्ति या बिजनेस को सेवाएं दे रहे हैं, टैक्स देय नहीं होगा। लेकिन यदि वरिष्ठ अधिवक्ता ये सेवा किसी लीगल फर्म या वकीलों को दे रहे हैं तो इस पर टैक्स लगेगा।

अगरबत्ती पर दर घटाएं

अगरबत्ती उद्योग के संगठन एआईएमए ने मंगलवार को राजस्व सचिव हसमुख अधिया से मुलाकात कर अगरबत्ती के लिए प्रस्तावित 12 फीसदी जीएसटी की ऊंची दर को कम करने की अपील की है।

दवाएं कितनी सस्ती

दवाओं पर वर्तमान में कुल कर 13 प्रतिशत से अधिक है। इसके विपरीत दवाईयों पर प्रस्तावित जीएसटी दर 12 प्रतिशत है। आम तौर पर दवाईयों पर छह प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और पांच प्रतिशत वैट लगता है।

इलेक्ट्रिक वाहन पर कर घटाने की मांग उठी

इलेक्ट्रिक वाहनों को जीएसटी की 12 प्रतिशत दर की श्रेणी में रखे जाने से इसके उभरते बाजार को नुकसान हो सकता है। इस उद्योग के लिए लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जीएसटी की दर शून्य से पांच प्रतिशत के दायरे में रखने का सुझाव दिया है। कर की दर ऊंची होने से ग्राहकों पर बोझ बढ़ेगा।